**न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।**

**मूल वाद संख्या 396/2022 (पुराना नंबर 1028/2021)**

केनरा बैंक बनाम मैसर्स सांई एंटरप्राइजेज और अन्य

**दिनांकः 03-09-2025**

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादी मुकेश गोयल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।

पत्रावली आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है, किन्तु वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र कागज संख्या 39ग इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि बैंक मैनेजर का ट्रांस्फर हो जाने के कारण एवं उनके स्थान पर कोई अन्य मैनेजर आ जाने के कारण उक्त पत्रावली में साक्ष्य दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जाना आवश्यक है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि दिनांक 14-05-2024 को वादी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तिम अवसर के साथ स्वीकार किया गया है तथा दिनांक 06-02-2025 को वादी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया है कि साक्ष्य दाखिल करने हेतु आगे कोई स्थगन प्रार्थना पत्र संधार्य नहीं किया जायेगा, किन्तु इसके उपरान्त भी वादी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा आज भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 39ग स्वीकार होने योग्य नहीं है।

**आदेश**

वादी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 39ग निरस्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 29-09-2025 को पेश हो। इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित बैंक की मेरठ शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND
UPADHYAY
Date: 2025.09.03 16:01:32 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court